(03)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः 139/2017

1. मीरां देवी पत्नी श्री चिमनाराम (मृतक)

1/1. नत्थूराम
1/2. शंकरलाल
1/3. कमला देवी

} पि. चिमानाराम जाति नायक निवासी चक 27 एफ.एफ हाल चक 1 एस.वी.एस.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर जरिये मुख्तयार आम बन्शीराम पुत्र श्री चेतनराम जाति नायक निवासी चक 33 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री अशोक छाबड़ा
2. पैरोकार राज.

निर्णय दिनांकः 28.8.2019

1. यह अपील तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर का आदेश दिनांक 21.11.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य निम्न प्रकार हैं कि वाके चक 1 एस.वी.एस.एम.ए का प.नं. 189/412 में कि. नं. 1 ता 3, 8 ता 11 में 1.366 है0 भूमि अपीलांटस के पिता/पति को कीमतन पुख्ता अलौट हुई थी जिसका इंतकाल सं. 116 विरासतन दर्ज किया गया है जो कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 से खाता सं. 60 से साबित है। उक्त पुख्ता आवंटन भूमि किस अधिकारी द्वारा रकबाराज की गई ऐसा कतई स्पष्ट नहीं है अपीलांट्स का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त भूमि न तो खारिज की गई व ना ही अवाप्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के पत्र दिनांक 21.11.12 के अनुसरण में चक 29 जीबी की भूमि के प. नं. 182/412 जो कि रकबाराज थी नगरीय सीमाओं के अन्तर्गत नगरपालिका श्रीविजयनगर को तुरन्त प्रभाव से दिये जाने के आदेश दिये गये। श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश स्पष्टतया पं नं. 182/412 की 1.012 है0 भूमि के थे ना कि प. नं. 189/412 के संबंध में। इसके उपरांत भी तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा पत्रांक 6349 दिनांक 21.11.12 द्वारा पं.नं. 182/412 के स्थान पर प. नं. 189/412 के इंतकाल आदेश पारित कर कब्जा नगरपालिका श्रीविजयनगर को दिये जाने के आदेश जारी कर दिये। उक्त पत्र में ओवरराइटिंग की गई है जिस पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल संख्या 347 दर्ज करने से पूर्व न तो रिकार्ड का अवलोकन किया व ना ही मौका की वास्तविकता की जानकारी प्राप्त की। उक्त भूमि नगरपालिका को दिये जाने से पूर्व अपीलांटस को नहीं सुना गया एवं ना ही अपीलांटस को कोई मुआवजा दिया गया और ना ही भूमि के एवज में तबादला दिया गया। उक्त की गई कार्यवाही राजकीय भूल है जो काबिल निरस्ती हैं

2. उक्तानुसार अपील 139/17 पर दर्ज की जाकर रेस्पोंडेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की और से अधिवक्ता श्री अशोक छाबड़ा पेश हुए एवं रेस्पोडेंट की ओर राज पेरोकार उपस्थित आए।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल संख्या 347 दर्ज करने से पूर्व दस्तावेजी रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया गया एवं अपीलांट को बिना सुने निर्णय दिनांक 21.11.12 पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके साथ अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि चक 29 जी.बी. गंगकैनाल क्षेत्र का रकबा है गंगकैनाल से उपनिवेशन क्षेत्र में सन 1967–68 में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में चक 1एस.वी.एस.एम. में शामिल किया गया परन्तु लिपिकीय त्रुटि के कारण चक 29 जीबी. ए अलग कायम किया गया व चक 1एस.वी.एस.एम को अलग कायम किया गया जबकि दोनों चकों की भूमि एक ही है इस तथ्य को माननीय सम्भागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.12.13 अपील सं.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

(04)

53/141 अनवानी अपील माधुरी सिह बनाम राज0 सरकार में स्वीकार किया है। अपने निर्णय के पेज नं. 4 में उल्लेख किया गया है कि "चक 29 जीबी. ए व चक 1 एस.वी.एस.एम. दोनों श्रीविजयनगर तहसील में है इसलिए श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर दोनों चको के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कायम कर वास्तविक स्थिति कायम करने में सक्षम है" अतः दोनों चकों की भूमि का वास्तविक मिलान न होने के कारण ही यह विकट स्थिति उत्पन्न हुई है।

जवाब बहस में पैरोकार राज ने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में नगरपालिका क्षेत्र श्रीविजयनगर की भूमि है। प्रश्नगत नांमातकरण संख्या 347 दिनांक 21.11.2012 मजमे आम में प्रशासन शहरों के संग अभियान में स्वीकृत किया गया है।अपीलांट्स की अपील नामांतकरण पोषणीय नहीं है एवं काबिले खारिज है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन, मनन एवं चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। विचाराधीन प्रकरण में विवाद का निस्तारण नामांतकरण अपील के आधार पर न होकर विस्तृत एवं गंभीर जांच तथा साक्ष्य सबूतों के आधार पर किया जा सकता है जिसके संबधं में अपीलांट्स सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

28/8/19

(रणवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner